पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 287/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 15.09.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे इनामिया अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक-15.09.2024 को थाना रौनापार पुलिस द्वारा सर्राफा की दुकान से चोरी करने वाला 25 हजार रूपयें का इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

01.थाना- रौनापारः सर्राफा की दुकान से चोरी करने वाला 25 हजार रूपयें का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार; पूर्व में 02 अभियुक्त हो चुके है गिरफ्तार।

पूर्व की घटना–

अवगत कराना हैकि दिनांक 09.08.23 को वादी श्री हरिमोहन वर्मा S/O राधेश्याम वर्मा ग्राम दोहरीघाट थाना दोहरीघाट जनपद मऊ ने थाना रौनपार पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 07.08.2023 की रात्रि में अज्ञात चोरो द्वारा वादी की दुकान के पीछे की शटर का ताला तोड़कर और नकब काटकर वादी के दुकान पर रखा हुआ सारा सोना व चाँदी का सामान/जेवर को चुरा ले गये, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 260/23 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात चोर के विरुध्द पंजीकृत किया गया था।

➡मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त 1.श्यामदेव साहनी पुत्र रामाश्रय साहनी नि0 ग्राम मोहनपुर पौहरिया थाना बड़हलगंज जिला गोरखपुर हाल पता ग्राम भैसाड़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 2. पप्पू यादव पुत्र सत्यनारायण यादव ग्राम महुला थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया, जिसमे अभियुक्त श्यामदेव साहनी पुत्र रामाश्रय साहनी को दिनांक 20.06.24 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

➡दिनांक 11.02.24 को वादिनी श्रीमती काजल गुप्ता पुत्री सुरेन्द्र गुप्ताग्राम कांखभार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने थाना रौनपार पर लिखित तहरीर दी कि वादिनी अपने परिवार के साथ रेलवे स्टेशन मऊ जाने के लिये टेम्पू बुक करना, रास्ते में टेम्पू चालक द्वारा अपने साथियो के साथ मौके का फायदा उठाकर टेम्पू में रखे बैग मे रखे सोने के जेवरात चोरी कर ली गयी है, के सम्बन्ध में दिनांक 02.03.24 को मु0अ0सं0 82/24 धारा 379/504/506 भादवि बनाम 1.पप्पू यादव पुत्र सत्यनरायन यादव 2.मुकेश यादव पुत्र पप्पू यादव 3. पप्पू का भतीजा नाम अज्ञात समस्त निवासीगण ग्राम महुला थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के विरुध्द पंजीकृत किया गया है, जिसमे अभियुक्त मुकेश यादव पुत्र पप्पू यादव उपरोक्त को दिनांक 26.08.24 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

➡उपरोक्त दोनो मुकदमो मे शेष वांछित अभियुक्त पप्पू यादव पुत्र सत्यनरायन यादव सा0 महुला थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ की गिरफ्तारी हेतु **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना** द्वारा दिनांक 22.08.24 को 25 हजार का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण –

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा चलाये जा रहें इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के क्रम में दिनांक-15.09.2024 को उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 25 हजार रूपयें का इनामिया अपराधी प्पू यादव पुत्र सत्यनरायन यादव सा0 महुला थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 48 वर्ष को चोरी किये गये सामान को बेचकर जो पैसे मिले थे उसमें से 2740/- रूपये के साथ ग्राम सुदनीपुर ,फोन टावर के पास से समय करीब 23.45 बजे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 260/223 धारा 457/380 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

2- मु0अ0सं0 82/24 धारा 379/504/506 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1- पप्पू यादव पुत्र सत्यनरायन यादव सा0 महुला थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 48 वर्ष

बरामदगी- चोरी माल को बेच कर जो पैसे मिले से उसमे से 2740/- रुपये बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी महुला थाना रौनापार मय हमराह जनपद आजमगढ़

02. थाना देवगांव: चोरी की मोटरसाईकिल व 01 चाकू के साथ 01 अभियक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 15.09.2024 को उ0नि0 गौरव कुमार सिंह मय हमराह चेकिंग के दौरान जिरिकपुर के पास 01 व्यक्ति रामानन्द निषाद पुत्र रामकरन निषाद निवासी ग्राम खरूवाव, थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर को चोरी की एक मोटरसाइकिल हीरो होण्डा पैशन प्लस व एक चाकू के साथ समय करीब 03.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 337/2024 धारा 317(2)बी0एन0एस0 एवं 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त रामानन्द निषाद उपरोक्त पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

03. थाना बिलरियागंजः साइबर फ्राड के 2000 रूपया आवेदक को वापस।

पूर्व की घटना- अवगत कराना है कि दिनांक- 22.05.2023 को आवेदक आयुष राय पुत्र स्व0 रमेश राय निवासी ग्राम श्रीनगर सियरहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा खुद के साथ 2000/- रूपये का साइबर फ्राड होने के सम्बन्ध में साइबर पोर्टल पर शिकायत पंजीकृत करायी गयी थी जिसका Ack No. 3310523007xxxxx है। आज दिनांक 15.09.2024 को आवेदक का फ्राड हुआ पैसा वापस करा दिया गया है।

बरामदगी का विवरणः- आज दिनांक 15.09.2024 को साइबर सेल प्रभारी उ0नि0 अक्षयदीप सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ मय टीम द्वारा आवेदक आयुष राय पुत्र स्व0 रमेश राय निवासी ग्राम श्रीनगर सियरहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ का फ्राड हुआ पैसा रू0 2000/- विपक्षी से वापस करा दिया गया है।

04. थाना रौनापारः चोरी के सामान के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– अवगत कराना है कि दिनांक 13.09.24 को वादिनी मुकदमा श्रीमती शमा पुत्री स्व0 मोहम्मद खालिद साकिन तुरकौली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने थाना रौनापार पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 11.09.24 को वादिनी अपने मायके ग्राम खोजौली जाना तथा उसी रात को विपक्षी 1.उजैल अहमद पुत्र नसरूद्दीन व 2.फैसल पुत्र इम्तेयाज साकिनान सोन बुजुर्ग थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी के घर से सोने की चैन 02 , कान का बून्दा 01 , सोने की अंगुठी 02 व 10 हजार रूपये नगद घर में घुसकर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में दिया गया जिस पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 367/24 धारा 331(4),305 बी.एन.एस बनाम 1.उजैल अहमद पुत्र नसरूद्दीन व 2.फैसल पुत्र इम्तेयाज साकिनान सोन बुजुर्ग थाना रौनापार जनपद आजमगढ़के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक- 15.09.2024 को उ0नि0 श्री उमाशंकर हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त उजैल अहमद पुत्र नसरूद्दीन सा0 सोनबुजुर्ग थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को ग्राम भागीपुर के बास की खुटी के पास से समय करीब 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अंगुठी पीली धाती व जामा तलाशी से 1230/- रुपये नगद बरामदगी किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

05. थाना गम्भीरपुरः जुआ खेलने वाले 09 अभियुक्त गिरफ्तार, तास के पत्ते व 4430 रूपया बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 14.9.2024 को उ.नि.विजय कुमार शुक्ल मय हमराह को सूचना मिली कि ग्राम खराटी के स्मशान घाट पर कुछ व्यक्ति हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे है इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँच कर 09 व्यक्तियों को मौके से पकड लिया गया तथा पकडे गए व्यक्तियों ने अपना नाम क्रमशः 1.आलोक चुहान पुत्र चन्द्रभान चौहान उम्र 24 2.युवराज चौहान पुत्र कलवंत चौहान उम्र 22 3.जयनाथ गौंड पुत्र केदार गौंड उम्र 46 4.हवलदार चौहान पुत्र स्व.हरिलाल चौहान उम्र 32 5.अरुण चौहान पुत्र स्व.बद्री नारायण चौहान उम्र 65 6.राम अवतार चौहान पुत्र बलिराम चौहान उम्र 44 7.हरी राम चौहान पुत्र बल्ली चौहान उम्र 55 8.नितिन चौहान पुत्र बासदेव चौहान उम्र 30 9.शंकर चौहान पुत्र राम बदन चौहान उम्र 52 वर्ष निवासी गण खराटी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ पकडे गए व्यक्तियों के पास माल फड 4430 रू.बरामद हुआ। अभियुक्तों को समय करीब 17.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0 357/2024 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

06.थाना- फूलपुर अवैध असलहा व कारतूस के साथ शातिर अपराधी गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 15.09.2024 को व0उ0नि0 श्री गंगाराम बिन्द मय हमराह द्वारा चेकिंग क दौरान शातिर अपराधी शिव कुमार सोनी पुत्र स्व0 गोपाल सोनी ग्राम शेरवाँ पुरवाँ थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को सदरपुर बरौली पुलिया से समय करीब 08.15 बजे एक अदद नाजायज तमन्चा .315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 61/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ
2. मु0अ0सं0 112/2020 धारा 411/414 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 114/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 299/05 धारा 450/504/506 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 310/2007 धारा 379/411 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 18/2018 धारा 380/411/454 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 59/2020 धारा 342/363 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़
8. मु0अ0सं0 60/2024 धारा 380/411 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़
9. मु0अ0सं0 65/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़
10. मु0अ0सं0 94/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़
11. मु0अ0सं0 129/22 धारा 380/411 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़
12. मु0अ0सं0 144/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़

07. थाना-कप्तानगंज: विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि वादी श्री अंकित राय पुत्र रामअचल राय निवासी मई खरगपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना कप्तानगंज पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 06.08.2024 को वादी के बहन दीक्षा राय को उसके ससुरालीजन चाचा ससूर व चचिया सास के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था जिससे क्षुब्ध होकर फांसी लगा लेने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 247/24 धारा 80,85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1. प्रभात राय पुत्र सुर्यनाथ राय 2. किरन राय पत्नी प्रभात राय निवासीगण भितेहरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध दिनांक 06.08.24 को पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर श्री किरनपाल सिंह द्वारा किया गया बाद विवेचना धारा 80/85 बीएनएस व ¾ डीपीएक्ट का लोप किया गया तथा धारा 108 बीएनएस की बढोत्तरी किया गया। जिसके पश्चात मुकदमा उपरोक्त की विवेचना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पाल थाना कप्तानगंज द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 15.09.24 को प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में नामजद अभियुक्त प्रभात राय पुत्र सुर्यनाथ राय को मुखबीर खास की सूचना पर ग्राम छाता का पुरा में अण्डर के पास समय करीब 12.10 बजे हिरासत पुलिस मे लेकर मा0न्या0 रवाना किया गया।

08.थाना- कोतवालीः जानलेवा हमला करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– अवगत कराना है कि दिनांक 13.9.24 को वादी तरूण श्रीवास्तव उर्फ बब्लू पुत्र श्री श्याम सुन्दर लाल श्रीवास्तव R/O बलरामपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 13/09/2024 को समय 10 बजे सुबह जब मै जुनैदगंज चौराहे से अपने घर वापस आ रहा था तभी आयुष अस्पताल लक्षिरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ के पास रोशन यादव S/O जिद्दू यादव निवासी हरिहरपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़ ने वाहन को वाहन मे टच होनें के विवाद में रोक लिया तथा गाली गुप्ता देने लगे जिसकी सूचना मैने चौकी बलरामपुर को दिया तथा सूचना देकर घर गया मेरे घर पर सूचना देने के पहले मेरे बडे भाई अरूण श्रीवास्तव घर से जुनेदगंज स्थित अस्पताल जा रहे थे तभी रोशन यादव व उनके परिवार के बच्चन यादव पुत्र अज्ञात , सौरभ यादव पुत्र बच्चन यादव , आशीष यादव S/O बच्चन यादव , रामायन यादव , सुमित यादव S/O अज्ञात निवासीगण ग्राम हरिहरपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़ व 10 से 12 अज्ञात लोग अपने जुनेदगंज चौराहे स्थित मकान पर रोक लिया और पूछा कि चौकी पर दरखास्त दिया है जिस पर मेरे भाई अरूण श्रीवास्तव को गाली गुप्ता देते हुए मारने लगे जिसकी सूचना मेरे भाई बबलू श्रीवास्तव से मुझे दिलायी और पुनः गाली गुप्ता देने लगे तभी वरूण श्रीवास्तव , शुभम श्रीवास्तव ,गरूण श्रीवास्तव वहा पहुच कर बीच बचाव करने लगे तभी अभियुक्तगण जो पहले से हाकी डन्डा व असलहे से लैस थे हम लोगो पर जान लेवा हमला कर दिए तभी रोशन यादव, सुमित यादव अपने हाथ मे लिए असलहे से हत्या करने की नियत से फायर कर दिया गया, क सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 507/24 धारा 115(2), 352, 109, 3(5) बीएनएस थाना कोतवाली पर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण– दिनांक 14.9.24 को उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1.रोशन यादव पुत्र हरिकेश यादव उर्फ जिन्दु यादव उम्र 24 वर्ष, 2. सुमित यादव पुत्र राजेश यादव उम्र 30 वर्ष, 3. अरविन्द यादव पुत्र रामबचन यादव उम्र 30 वर्ष निवासीगण ग्राम हरिहरपुर थाना कंधरापुर आजमगढ़ को समय 19.48 बजे हाफिजपुर हाइडिल के पास से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

09. थाना बरदहः साइबर फ्राड के 10,000 रूपया आवेदक को वापस।

पूर्व की घटनाः- दिनांक 14.06.2024 को आवेदक फैशल अहमद पुत्र नौशाद अहमद निवासी बरदह थाना बरदह आजमगढ़ के साथ USDT बेचने के नाम पर 10,000/- रूपये स्थानान्तरित करा लिया गया।

रूपया वापसी का विवरणः- आवेदक फैशल अहमद पुत्र नौशाद अहमद निवासी बरदह थाना बरदह आजमगढ़ के सूचना के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कम्प्यूटर आपरेटर विद्यासागर वर्मा द्वारा साइबर टीम की मदद से साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत संख्या 33106240076142 पंजीकृत किया गया। शिकातय पर कार्यवाही करते हुए आवेदक के खाते में 10000/- रूपये वापस कराया गया।